"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च 2010— फाल्गुन 21, शक 1931

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं भजन कुमार अग्रवाल आत्मज श्री धनसी राम अग्रवाल, आयु 45 वर्ष निवासी देवीगंज रोड अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ. ग.) का हूं. मैं अपने पुत्र अंश सिंघल जिसकी जन्मतिथि 4-12-1995 है का नाम परिवर्तित कर अभिषेक सिंघल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को अभिषेक सिंघल आत्मज श्री भजन कुमार अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
अंश सिंघल	अभिषेक सिंघल
आत्मज-श्री भजन कुमार अग्रवाल	आत्मज-श्री भजन कुमार अग्रवाल
निवासी-देवीगंज रोड़ अम्बिकापुर	निवासी-देवीगंज रोड, अंबिकापुर
जिला सरगुजा (छ. ग.)	जिला सरगुजा (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अरविंद कुमार आत्मज श्री व्ही. एन. श्रीवास्तव, उम्र 37 वर्ष, निवासी प्लाट नं. बी. 65, सड़क-12, स्मृति नगर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम के साथ अपना उपनाम श्रीवास्तव जोड़कर अपना नाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अरविंद कुमार श्रीवास्तव आत्मज श्री व्ही. एन. श्रीवास्तव के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
अरविंद कुमार	अरविंद कुमार श्रीवास्तव
आत्मज-श्री व्ही. एन. श्रीवास्तव	आत्मज-श्री व्ही. एन. श्रीवास्तव
निवासी- टी. सी. पी. सी. के पास	निवासी-प्लाट नं. बी 65
बंगलापारा	सड़क 12, स्मृति नगर भिलाई
पोस्ट-नारायणपुर	तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
जिला-नारायणपुर (छ. ग.)	

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शशिभूषण आत्मज स्व. कृष्णा प्रसाद, आयु 39 वर्ष, निवासी ब्लाक नं. 3, प्लाट नं. 4, प्रियदर्शनी परिसर (पूर्व) भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम के साथ अपना उपनाम प्रसाद जोड़कर अपना नाम शशिभूषण प्रसाद रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे शशिभूषण प्रसाद आत्मज स्व. कृष्णा प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
शशिभूषण	शशिभूषण प्रसाद
आत्मज-स्व. कृष्णा प्रसाद	आत्मज-स्व. कृष्णा प्रसाद
निवासी-ब्लाक नं. 3, प्लाट नं. 4	निवासी-ब्लाक नं. 3, प्लाट नं. 4
प्रियदर्शनी परिसर (पूर्व) भिलाई	प्रियदर्शनी परिसर (पूर्व) भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मोतीलाल आत्मज स्व. जार्जकुमार जाति ईसाई, निवासी 4 बी. 3 ए. टाइप, हास्पिटल सेक्टर दल्ली राजहरा जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम के साथ अपना उपनाम जार्ज जोड़कर अपना नाम मोतीलाल जार्ज रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मोतीलाल जार्ज आत्मज स्व. जार्जकुमार के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
मोतीलाल	मोतीलाल जार्ज
आत्मज-स्व. जार्जकुमार	आत्मज-स्व. जार्जकुमार
निवासी-4 बी. 3 ए. टाइप	निवासी-4 बी. 3 ए. टाइप
हास्पिटल सेक्टर, दल्ली राजहरा	हास्पिटल सेक्टर, दल्ली राजहरा
जिला दुर्ग (छ. ग.)	जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2010

प्रकरण क्र. ब/113 (1) वर्ष 2009-10

पृ. क्रमांक /अ. वि. अ./ट्रस्ट/2010.—चूंकि राजेन्द्र दुबे, देवेन्द्र नगर, रायपुर, अध्यक्ष, सरस्वती शिक्षा सेवा न्यास रायपुर ने सरस्वती शिक्षा सेवा न्यास रायपुर आयुर्वेदिक कालेज के पीछे सरस्वती बिहार रायपुर का लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियॉं प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 30-03-2010 की होगी.

अनुसूची
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	सरस्वती शिक्षा सेवा न्यास, आयुर्वेदिक कालेज के पीछे, सरस्वती बिहार, रायपुर (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	11,000/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

आज दिनांक 26-2-2010 को जारी.

तारन प्रकाश सिन्हा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक

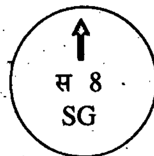
अन्य सूचनाएं

वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 07 जनवरी 2010

क्रमांक /मा: चि./2010/02.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शित रघुनाथनगर परिक्षेत्र को प्रदाय मार्किंग हैमर श्री बन्ताराम, वनपाल परिक्षेत्र सहायक सोनहत द्वारा दिनांक 22-09-2009 को कक्ष क्रमांक पी. 622 गोबरदहा में कार्य के दौरान उक्त हैमर कहीं गिर गया है. जो आज दिनांक तक नहीं मिला है. इसकी सूचना पुलिस थाना रघुनाथनगर में दर्ज की जा चुकी है.

गुमशुदा मार्किंग हैमर की आकृति →



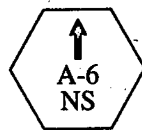
वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुमशुदा मार्किंग हैमर को वनमण्डल के स्टाक से अपलेखित किया जाता है. उपरोक्त हैमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो कृपया निकटतम पुलिस थाने में अथवा वनमण्डल कार्यालय उत्तर सरगुजा में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गुमशुदा मार्किंग हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने अथवा उपयोग करते पाया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी.

उक्त गुमशुदा मार्किंग हैमर की कीमत रुपये 800.00 (रुपये आठ सौ मात्र) श्री बन्ताराम वनपाल से वसूल करने के आदेश जारी किये जाते हैं, साथ ही हैमर जैसी महत्वपूर्ण वस्तु को सुरक्षित न रखते हुए शासकीय कार्य में असावधानी/लापरवाही बरतने के कारण श्री बन्ताराम वनपाल परिक्षेत्र सहायक सोनहत को गंभीर चेतावनी दी जाती है.

अम्बिकापुर, दिनांक 19 फरवरी 2010

क्रमांक /मा. चि./2010/41.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शित रघुनथनगर परिक्षेत्र के बीट पंडरी का बीट हैमर श्री महेन्द्र सिंह, वनपाल परिसर प्रभारी पंडरी द्वारा दिनांक 03-12-2008 को बीट भ्रमण के दौरान कहीं गुम गया है जो आज दिनांक तक नहीं मिला है. इसकी सूचना पुलिस थाना रघुनाथनगर में दर्ज की जा चुकी है.

गुमशुदा बीट हैमर की आकृति →



वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुमशुदा बीट हैमर को वनमण्डल के स्टाक से अपलेखित किया जाता है. उपरोक्त हैमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो कृपया निकटतम पुलिस थाने में अथवा वनमण्डल कार्यालय उत्तर सरगुजा में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गुमशुदा बीट हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने अथवा उपयोग करते पाया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी.

उक्त गुमशुदा बीट हैमर की कीमत रुपये 800.00 (रुपये आठ सौ मात्र) श्री महेन्द्र सिंह वनपाल परिसर प्रभारी पंडरी से वसूल करने के आदेश जारी किये जाते हैं, साथ ही हैमर जैसी महत्वपूर्ण वस्तु को सुरक्षित न रखते हुए शासकीय कार्य में असावधानी/लापरवाही बरतने के कारण श्री महेन्द्र सिंह वनपाल को गंभीर चेतावनी दी जाती है.

अमरनाथ प्रसाद,
वनमण्डाधिकारी.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर जिला बस्तर

जगदलपुर, दिनांक 17 फरवरी 2010

छ. ग. सहकारी संस्थायें अधिनियम की धारा 69(3) के अन्तर्गत

क्रमांक/उ. प. ज./परिसमापन/10/136.—कार्यालय सहायक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें जगदलपुर के पत्र क्रमांक/अंके./36/दिनांक 4-2-2010 द्वारा प्राप्त पत्र अनुसार आपकी संस्था 31 जनवरी 2010 की स्थिति में श्री टी. बी. के. मुर्ति अध्यक्ष से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करते हुये अनेको बार

दूरभाष पर चर्चा किये जाकर अंकेक्षण कराये जाने का आग्रह किया गया, इसके अतिरिक्त सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें जगदलपुर के पत्र क्रमांक/अंके./09/163 दिनांक 11-8-2009 एवं पत्र क्रमांक 241 दिनांक 5-11-2009 एवं पत्र क्रमांक 283 दिनांक 30-12-09 द्वारा लगातार पत्राचार किये जाने के उपरांत भी किसी प्रकार की प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं. उक्तानुसार संस्था के असहयोग एवं रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराये जाने के फलस्वरुप वर्ष 2005-06 से वर्तमान पर्यन्त अंकेक्षण कार्य लंबित है. अत : उपरोक्त वर्णित कारण से आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित करता हूं.

अतएव मैं, सुनील तिवारी, उप पंजीयक (प्रशासन) सहकारी समितियां जगदलपुर छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधि. सूचना क्रमांक/एफ-7-3/सह./ 15/2436 रायपुर दिनांक 13 जून 2001 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारण के आधार पर यह कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सूचना देता हूं कि क्यों ना आपके संस्था के विरुद्ध छ. ग. सहकरी सोयाइटी अधिनियम धारा 69(2) की कार्यवाही की जावें इस संबंध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कहना है तो इस पत्र के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जाकर की आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश प्रसारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना पत्र आज दिनांक 17-2-10 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी कियाा गया है.

सुनील तिवारी,
-उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.